

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजनान्तर्गत अन्य वर्ग के लाभुक के लिए 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा लाभुक के लिए 70 प्रतिशत अनुदान की योजना हेतु।

सहमति पत्र

योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को ☒ करें।)

(1) उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना। ☐

(2) ट्यूबवेल एवं पंपसेट का अधिष्ठापन की योजना। ☐

(3) तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना। ☐

मैं श्री / श्रीमती पिता / पति ग्राम

पोस्ट प्रखण्ड थाना जिला

का निवासी हूँ एवं सहमति पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि

- मैं मत्स्य उत्पादन का कार्य (जगह का नाम) करता / करती हूँ एवं जाति में आता / आती हूँ।
- योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अंशदान (समान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अति पिछड़ा वर्ग 70 प्रतिशत) का वहन मेरे द्वारा स्वयं किया जायेगा / जायेगी।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश / सलाह का पालन करूँगा / करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन में दिया गया सभी सूचना सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर:—

गवाह:—

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजनान्तर्गत अन्य वर्ग के लाभुक के लिए 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा लाभुक के लिए 70 प्रतिशत अनुदान की योजना हेतु।

शपथ पत्र



योजना का नाम (कृपया सही विकल्प को करें।)

- (1) उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना। ☐
- (2) ट्यूबवेल एवं पंपसेट का अधिष्ठापन की योजना। ☐
- (3) तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर की योजना। ☐

मैं श्री / श्रीमती पिता / पति ग्राम
पोस्ट प्रखण्ड थाना जिला

का निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि

- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत तथा अनुदान राशि के अंतर राशि का वहन स्वयं करूँगा / करूँगी।
- मैं योजनान्तर्गत इकाई लागत से अधिक राशि के वहन होने पर अतिरिक्त राशि का वहन स्वयं करूँगा / करूँगी।
- योजनान्तर्गत प्रथम किस्त अथवा द्वितीय किस्त अनुदान प्राप्त करने के पश्चात अगर मेरे द्वारा किन्ही कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती हैं तथा मत्स्य उत्पादन की अंतिम आंकड़ा पंजी आदि कार्यालय में समर्पित नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में मेरे द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि वापस की जाएगी अन्यथा राशि की वसुली हेतु विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर किया जाएगा। साथ ही मुझे काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं किसी भी विभागीय योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- मेरे द्वारा मत्स्य उत्पादन / मत्स्य बीज का कार्य सरकारी / निजी / पट्टा पर ली गयी तालाब में किया जा रहा है एवं तालाब / भूमि विवाद रहित है।
- योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय पर जारी अनुदेश / सलाह का पालन करूँगा / करूँगी।
- मेरे द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रदान की गयी सभी सूचना सही है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर:-

नाम:-

मो० नं०:-

गवाह:-

